(ii) The Bombay Inams (Kutch Area) Abolition (Gujarat Amendment) Ordinance, 1979, (Gujarat Ordinance No. 8 of 1979).

(iii) The Gujarat Panchayats (Amendment) Ordinance, 1980, (Gujarat Ordinance No. 1 of 1980).

(iv) The Bombay Land Revenue (Gujarat Amendment) Ordinance, 1980 (Gujarat Ordinance No. 2 of 1980).

[Placed in Library. *See* No. LT-520|80 for (i) to (iv)].

II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-clause (a) of clause (2) of article 213 of the Constitution, read with sub-clause (iv) of clause (c) of the Proclamation, dated the 17th February, 1980, issued by the President in relation to the State of Uttar Pradesh:—

(i) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1980 (U.P. Ordinance No. 2 of 1980). [Placed in Library. *See* No. LT-592|80].

(ii) Uttar Pradesh Local Self-Government Laws (Amendment) Ordinance, 1980 (U.P. Ordinance No. 3 of 1980). [Placed in Library. *See* No. LT-592/80].

(2) Statement explaining the circumstances which necessitated immediate legislation by Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1980. [Placed in Library. *See* No. 592/80].

III. A copy (in English and Hindi) of the Government of Punjab (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 162|P.A.10|73|S.26|Amd (6)|79, dated the 23rd November, 1979, publishing the Punjab Land Reforms (First Amendment) Rules, 1979, under sub-section (2) of section 26 of the Punjab Land Reforms Act, 1972, read with clause (b) of the Proclamation dated the 17th February, 1980, issued by the President in relation to the State of Punjab along with a statement giving reasons for the delay in laying the Notification. [Placed in Library. *See* No. LT-538|80].

Papers under Article 151 of the Constitution

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA): Sir, I beg to lay on the Table, under clause (1) of article 151 of the Constitution, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Appropriation Accounts, Railways for 1978-79, Part I—Review.

(ii) Appropriation Accounts, Railways for 1978-79, Part II—Detailed Appropriation Accounts.

(iii) Block Accounts (including Capital Statements Comprising the Loan Accounts) Balance Sheets and Profit and Loss Accounts, Railways, for 1978-79.

(iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1978-79, Union Government Railways).

[Placed in Library. *See* No. 558/80 for (i) to (iv)].

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising out of the Incidents of Atrocities on Agricultural Labourers belonging to Scheduled Castes in a Locality on the outskirts of Moradabad city in Uttar Pradesh on March 15, 1980

MR. CHAIRMAN: We shall now proceed to the Calling Attention motion. But I may tell the hon. Members that we have decided, as we have other important work to do, to close the Calling Attention at 1.30 p.m. and that the lunch hour will be reduced by half an hour because we want to finish a lot of work today.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA (Andhra Pradesh): Sir, you are going back on your promise. Sir, yes-

[Shri Buddha Priya Maurya].

terday you were kind enough to promise to this House that the Calling Attention motion will be discussed in detail today. That was the promise you were kind enough to give to this House, Sir.

MR. CHAIRMAN: But this is the same Calling Attention motion which is being discussed now. It is the same thing which you wanted to raise. Now, Shri Dinesh Goswami.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: Sir, my submission is this. You had been kind enough to tell this House yesterday that the Calling Attention motion regarding the atrocities committed on the Scheduled Castes of Moradabad will be discussed in detail today. Now, you are going to fix the time limit that up to 1.30 p.m. we have to finish this Calling Attention motion.

MR. CHAIRMAN: I do not fix the time. The Business Advisory Committee has fixed the time. And we will see how much progress we make. Now, Mr. Dinesh Goswami. I request the hon. Members not to take more than seven minutes each. Shri Dinesh Goswami. Please be brief.

SHRI DINESH GOSWAMI (Assam): I shall be brief, Sir. But, I have to call the attention of the Minister first.

Sir, I beg to call the attention of the Minister of Home Affairs to the situation arising out of the incidents of atrocities on agricultural labourers belonging to Scheduled Castes in a locality on the out-skirts of Moradabad city in Uttar Pradesh on March 15, 1980.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): Mr. Chairman, Sir, as the Hon'ble Members are aware, I had, by my statement of yesterday, taken the earliest possible opportunity to take the House into confidence about the incident that occurred at the outskirts of Moradabad in Uttar Pradesh on March 15, 1980. I only have to add, as a matter of factual information received from the State Government, that this is not a case of atrocities on agricultural labourers. The State Government have reported that these huts were put up by Harijans, mostly belonging to the Public sanitation staff of the local Municipal Board.

SHRI DINESH GOSWAMI: Mr. Chairman, Sir, I have very carefully gone through the statement which the hon. Minister of State for Home Affairs read out to the House yesterday. And, Sir, this statement and some of the statements of some of the Ministers—I do not want to go into them all—remind me of a joke which I have recently seen in the Illustrated Weekly. Sir, the joke runs like this: There was a man who wanted a brain transplantation. Two brains were brought before him; one of an Architect and the other of a Minister. The doctor informed him that the brain of an Architect costs Rs. 100 and that the brain of a Minister costs Rs. 10,000. The man said, I never knew that the brains of Minister are so valuable, I was under the impression it is just to the contrary. The doctor replied, well don't be under a misapprehension. The brain of the Architect is Rs. 100 because it is overused, and the brain of the Minister costs more because it has never been used.

MR. CHAIRMAN: But that has nothing to do with Moradabad.

SHRI DINESH GOSWAMI: Sir, I am coming to Moradabad. Firstly the hon. Minister has made a very interesting statement on the 'alleged lathi-charge' on the blind when everyone knows and we know that the lathi-charge took place. He has given this information to us yesterday, stating that the information is based on the information received from the Government of Uttar Pradesh. Now, if there would have been a State Assembly and the State Government of Uttar Pradesh functioning independently under the fed-

eral character of the Constitution, I could have understood him getting this information from the Government of Uttar Pradesh. But the question of Harijans is a Central subject and if I am not mistaken the Government of Uttar Pradesh today is being run by the Union Government, Uttar Pradesh being under the President's rule. I cannot also forget the assertion of the Prime Minister made a few months back when she declared the attempt by the State Government of Uttar Pradesh to hush up matters in Narainpur. Now, if the State Government wanted to hush up matters in Narainpur, how is it that the authority of the Union Government are trying to get information only from the same State Government? Or, is it that even under the President's rule, even when the legislative and executive functions of the State are vested in the Union Government, the Union Government wants to disown the responsibility of placing facts and figures before this House in their correct perspective? At least the statement does not make any indication because if the statement is found to be false subsequently, well, the Minister will stand up and say. I am not taking any responsibility because this was the statement given by the Government of Uttar Pradesh.

Sir, the Minister has also given a statement today saying that they were not agricultural labourers. That does not make any difference in the situation. Now, every newspaper which has reported this incident has said that three persons have died and that they were sent to hospital and the hospital declared them dead. In this context, may I know from the Home Minister whether he has made any independent inquiry or does not the Government of India feel that there should be some independent inquiry to find out whether the statements which the newspapers have reported, with a certain amount of responsibility, are correct or not. Is he only to rely upon some reports given by the S.D.O. or the S.D.M. who would always try to give a different version of the incident as we have seen in the recent past? Or, is the Home Minister taking full responsibility for the statement he is making that no person was killed in this incident? I would like the Minister to clarify that he today being the Home Minister of the Union Government administering U.P. under the President's Rule is making the statement with full responsibility with all the consequences that he may have to face in the Parliament if his statement is proved to be wrong that no person was killed and that this is a wrong story.

I do not want to repeat here the atrocities that have been committed in the recent past on the Harijans. I think more than half of the time of this House we have utilised in discussing it without much improvement in the situation. Why have these atrocities taken place? We have always discussed about individual atrocities. But atrocities take place because of a climate prevailing in the country, a climate in which the landlords and the people who are in the upper strata of the society feel that they can commit any crime against these people who are in the lower strata of the society, these helpless people, with impunity and they will get protection from the police and also from political personalities. The situation had not changed even when the Janata Government was there. The people had thought that Janata Government would bring in some improvement in the situation and those in the top rung in the political and social life of the country would help in creating a better climate. But these Harijans have to suffer and they have suffered a lot during the reign of the Janata Government. I thought that the situation will improve when Congress-I has come to power, when Mrs. Gandhi has come to power. But unfortunately the situation has not improved. It is imperative on the part of the Union Government to take a decision now in consultation with everybody as to how this climate of apprehension in the minds of Harijans and others and

[Shri Dinesh Goswami]

a feeling of emboldenment in the minds of the upper strata of the sosiety can be removed. People in the upper strata of the society have to be told that they cannot commit crimes against the Harijans, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and if they do so, they will be doing it at the greatest peril. And the Harijans also must be made aware of their rights and they should be told that if they are attacked, they should be bold and protect themselves with all their might and the force of the Government will be there to their rescue. Unfortunately, the climate is otherwise. The Scheduled Caste and Harijan people know that the police and the administration will undoubtedly go in favour of the upper strata of the society. Even the Prime Minister, unfortunately, had to admit this in the context of Narainpur incident when it was said that U.P. Government was trying to hush up the matter.

Now, Sir, as you have asked me to be very brief, I do not want also to go into the details because I do not come from that area. My friend, Mr. Maurya, comes from that area and he will be able to enlighten this House much more. I would only like the Home Minister to answer some of the questions that I would pose before him. Firstly, I want to know whether the Government of India has undertaken any independent investigation into this matter apart from the report of the State Government to find out whether the report of the State Government is correct or incorrect. According to the statement itself, the D.M. and the S.S.P. visited the spot. These officers have not been changed. Their character has not changed; their attitude has not changed and so long as inquiries are made by them, these inquiries will always be biased in favour of the people who commit atrocities against the Harijans and these reports will be prejudiced against the Harijans, the Scheduled Castes. Secondly, I would like to know whether the Government—not only in this case but in all such cases—is thinking of setting up an investigating department within itself, an investigating cell, not a judicial inquiry, which will go into the matter immediately and make an investigation. And in this investigation agency, I would like some Scheduled Castes, Scheduled Tribes and also Harijans to be associated who will go to the spot immediately and make investigation independently of the investigation by the State Government, and the Parliament will be apprised not of the report of the State Government but of the investigation done by such a body; otherwise, Sir, we are always kept in the dark and the correct picture never comes to us: I would like to know also as to what steps the Government has in mind to create a climate in this country, a psychological climate, with appropriate measures—legislative and executive—so that the landlords and others may not be under the impression that they can commit all sorts of offences against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes with impunity. You should create feeling in the minds of the scheduled castes and the scheduled tribes and so on that the executive is not heavily weigned in favour of the landlords. My next question is, is the Government today, is the hon. Home Minister, in a position to take the responsibility and tell us that no person has been killed? *(Interruptions)*

AN HON. MEMBER: Sir, the Home Minister is leaving.

SHRI DINESH GOSWAMI: He will come back. I am not taking objection. He was here and he will come back. I would like to know from the hon. Minister whether he is in a position to deny categorically that the newspaper reports about the death of persons are wrong. Or, is it that he is shielding himself under the cover of the report of the Government of U.P.? Will he say that he has no independent information from the Union Government, or, if he has information, will he say that the reports are true taking all the conse-

quences which may flow from the statement? My last question is this. The relief measures are not adequate. What steps the Government is taking to see that adequate relief is given? I would also like to know how many people have been rendered homeless. He said 73 homes have been rendered homeless. I would like to know the number of persons. Sir, since the time is very limited, I have tried to keep myself within the time limit given by you and I hope the hon. Home Minister would give some candid answer to the questions which I have put.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, the hon. Member very well knows even though an Assembly is dissolved and it is under President's Rule, the machinery remains the same. Whatever enquiry is made, it is made through the officers of the State Governments who are there. But even then, the Central Government has its own agency also to enquire into such incidents and this is the intelligence agency. We have also deployed our intelligence agency and they are there in the States. Their independent report also conforms with the report of the State Government. Hence, there is nothing contradictory between the two reports, the report of the State Government and the report of the Central intelligence agencis. So far as the question of bias is concerned, I entirely agree with my hon. friend that the biased mind of the caste Hindus still prevails in the State machinery in almost all the States. But we cannot blame all the officers on this issue because of some people. There may be some black sheep here and there. But by and large, the officers are not biased. Now, he has suggested that some Harijan cell should be constituted and they should make the enquiry. In every State, there is a Harijan cell consisting of the top officers of the State Police and so on and they immediately rush to the spot and enquire into the matter and their report is also taken into consideration. So far as the killing of persons is concerned, our report is there that only one woman has been injured and she also suffered only minor injuries. So far as the question of relief is concerned, I would like to tell the hon. Member that an amount of Rs. 450|- has been given in respect of three huts at the rate of Rs. 150|- per hut and Rs. 7,000 in respect of 70 huts at the rate of Rs. 100|- per hut. This makes up a total of Rs. 7450|-. But this was not thought adequate. An additional amount of Rs. 50|- was given in respect of the 73 huts. In all, an amount of Rs. 11,100|- has been given by way of relief. He has also mentioned about housing. We have already issued the guidelines not only to the U.P. Government but to all the State Governments. The Home Minister has written a letter. Guidelines have been prescribed. In this, it has been specifically mentioned that adequate measures should be taken to provide them housing.

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : माननीय सभापति महोदय, जिस समय इस तरह की घटनायें मेरे जैसे व्यक्ति के सामने आती हैं तो ध्यान चला जाता है महात्मा गांधी के आंदोलन की ओर जो महात्मा गांधी ने अफ्रीका के आदिवासियों के शोषण को समाप्त करने के लिये किया था। अफ्रीका के काले लोगों का विदेशी गोरे लोग शोषण करते थे। एक भारत माता के सपूत ने जा कर वहां क्रान्ति की और आज अफ्रीका करीब-करीब आजाद हो चला है। एक ओर मेरा ध्यान जाता है संत बिनोवा जी की तरफ जिन का संदेश है कि गो-हत्या नहीं होनी चाहिए। संविधान में भी डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया गया है कि गो की रक्षा की जायेगी और इस तरह की व्यवस्था की जायेगी कि काऊ-स्लाटर न हो। लेकिन बावजूद इस के गो-हत्या हो रही है। संत बिनोवा ने गो-हत्या को लेकर एक आंदोलन किया आमरण अनशन किया, लेकिन मुझे अफसोस और खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस भारत वर्ष

[श्री बुद्धप्रिय मौर्य]

में आज एक भी संत ऐसा नजर नहीं आता कि जब निर्मम हत्या होती हो शोषित समाज के लोगों की, जब उन का शोषण होता हो, जब उन को जिंदा जला दिया जाता हो, जब उन को कत्ल कर दिया जाता हो, जब उन को मार दिया जाता हो तो कोई भी इस देश का संत या महात्मा किसी तरह का सत्याग्रह करते हुए मुझे नजर नहीं आता है। अभी-अभी मेरा ध्यान गया --मैं एक अखबार पढ़ रहा था, आदरणीय इन्दिरा जी हमारे देश की प्रधान मंत्री हैं उन को मैं चुनौती नहीं देना चाहता, उन की इस बात को कि वे यहां के शोषित समाज का उद्धार करना चाहती हैं, मैं उन की यह बात मानता हूं लेकिन उन का ध्यान चला गया सोहन चिड़िया की तरफ। उन का आज ही बयान आया है सोहन चिड़िया जिस प्रकार समाप्त हो रही है उस के बारे में। उस को लेकर उन्होंने दुख जाहिर किया। मैं उस को पढ़ना नहीं चाहता। वह काफी लम्बा बयान है, लेकिन उस को ले कर उन का बयान है कि सोहन चिड़िया समाप्त हो रही है और उन को चिन्ता है कि वह समाप्त नहीं होनी चाहिए। ऐसी मेरी भी इच्छा है लेकिन मुरादाबाद की ओर उन का ध्यान नहीं गया। अभी-अभी माननीय गोस्वामी जी ने निवेदन किया कि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकिल 46 के अंतर्गत यह केन्द्र की जिम्मेदारी है कि शोषित समाज की ओर विशेष तौर पर शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स की वह रक्षा करे। जो बयान माननीय गृह मंत्री जी ने इस सदन के सामने दिया है उस में उन्होंने कहा है :

"According to the information received from the Government of Uttar Pradesh........"

श्रीमन्, इस पर मुझे आपत्ति है। यह जिम्मेदारी उन्हें खुद लेनी होगी क्योंकि मैं ने स्वयं अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर भेजा और मेरी जो जानकारी आयी है उस के आधार पर माननीय गृह मंत्री जी का बयान इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। मुझे यह बताया गया और मुझे ही नहीं बल्कि तमाम अखबारों में भी छपा है कि करीब करीब 1200 शोषित समाज के लोग शेडयूल्ड कास्ट के नर नारी बेघरबार हो गये और उनके करीब 73 मकान जला कर खाक कर दिये गये और उस के साथ साथ आप किसी भी अखबार को उठा कर देखें यह तमाम अखबार हमारे पास हैं, हिन्दुस्तान टाइम्स यह अखबार तो बिरलाओं का है, लेकिन उस ने कहा है :

three Harijans burnt alive............

और फिर पूरे विस्तार से दिया है और अंत में इस अखबार ने कहा है :

The residents of this locality were given threats of this nature earlier also. इस पर श्रीमन्, मैं थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन इस के अलावा टाइम्स आफ इंडिया जो कि करीब-करीब सरकारी अखबार है, उस ने भी कहा है कि करीब 3 शेडयूल्ड कास्ट के लोगों की हत्या कर दी गयी जला कर। यह पैट्रियेट है, इस के अलावा इंडियन एक्सप्रेस में छापा है और जितने भी अखबार हैं, तमाम अखबारों में छपा है 1200 लोग बेघरबार और 73 मकानों को जला कर राक कर दिया गया और तीन आदमियों की इस दुर्घटना में हत्या हो गयी। इस के बारे में गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस घटना की मजबूती के साथ जांच पड़ताल करें ताकि उन को पता लग सके कि वास्तविकता क्या है। अगर कृपा कर वह खुद चले जायें तो अच्छा है। खुद न जायें तो माननीय राज्य मंत्री जी को भेज दें। माननीय राज्य मंत्री जी भी अगर व्यस्त हों तो उन के पास शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की एजेंसी है। उनके द्वारा वह मालूम करायें। मुझे विश्वास है और मुझे यह बताया गया है कि वहां तीन आदमियों की हत्या हो गयी है इस घटना में। दूसरे मेरा निवेद

यह है कि गृह मंत्री जी ने अपने बयान में कहा था :

73 huts unauthorisedly put up on municipal land...

यह उन्होंने अपने बयान में कहा था ।

श्रीमन्, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन शेडयूल्ड कास्ट के लोगों ने 73 झोपड़ियां कब डाली कब से वह अनअथोराइज्ड थीं क्योंकि आपने अपने बयान में अन–अथाराइज्ड शब्द का इस्तेमाल किया है । वह बताने की कृपा करेंगे कि कितने दिनों से यह लोग वहां पर रह रहे थे । इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार की नीयत सही नहीं है तो हिन्दुस्तान के जमीदार की नीयत कैसी होगी । जो लोग 10–15 साल से वहां पर रह रहे हों, उनको म्यूनिसिपल बोर्ड रहने का अधिकार न दे और कहने लगे कि अन-अथाराइज्ड तारीके से रह रहे हैं तो फिर यह सरकार किस प्रकार जमीदारों को काबू कर सकेंगी कि जिन जमीदारों की जमीन पर खेत मजदूर रह रहे हैं, जिनके बाप दादा सदियों से वहां रह रहे हैं उनको वहां से न उजाड़ा जाए ।

श्रीमन्, उन्होंने अपने बयान में कहा है :

"..... got burnt on the night of March 15, 1980. There was no loss of human life.

आगे उन्होंने कहा है उसके बाद —

"ADM with a senior police officer had visited the scene immediately after the incident."

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गृह मंत्री यह बताने की कृपा करें कि यह हादसा कब हुआ, आग कब लगी, किस टाइम पर लगी किस टाइम पर यह पता लगा कि आग लग गई है और आग कितनी देर तक जलती रही क्योंकि 73 झोपड़ियां या मकानों को जलने में भी समय लगेगा । क्या इसकी जांच पड़ताल उन्होंने की है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि एस0 पी0, ए० डी० एम०, डी० वाई० एस० पी० या कलक्टर तुरन्त ही घटना स्थल पर पहुंच गये ? मेरी जानकारी यह है कि रात में वहां पर कोई भी कलेक्टर या एस0 पी0 में से एक भी मौके पर नहीं पहुंचा । तो इसके बारे में भी वह खुलासा करें ।

श्रीमन, उन्होंने एक राशि मंजूर की है । 73 मकान जलाकर खाक कर दिये गये ।..

(The bell rings)

श्रीमन्, आप जानते हैं कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण है । मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 73 मकान जलाकर खाक कर दिये गये । आपने जो राशि दी है उसे 73 से भाग कर दें और देखें कि एक मकान पर कितना आता है । एक झोपड़ी पर कितना आता है । उसमें फूस कितने का हुआ, बांस कितने के हुए, बांस के साथ साथ थोडा बहुत आटा भी उनके पास होगा जो जला होगा । उनके पास कुछ चीथड़े भी होंगे, कुछ रजाइयां भी होंगी, वह कितने की हुई । कितना नुकसान वहां पर हुआ उसके अनुसार धन की राशि निश्चित करें तो आप सही बात पर पहुंच पायेंगे ।

महोदय, मैं एफ० आई० आर० की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । आप देश की नहीं दुनिया की जुडिशियरी के ज्ञाता हैं । मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एफ० आई० आर० कब दायर हुई ? कितनी दायर हुई ? क्या उनको वह सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि एफ० आई० आर० को सदन के पटल पर रखें तो श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि जो नुकसान उन्होंने हजारों में बताया है वह लाखों में जाता है । किसी ने 5 लाख बताया, किसी ने 7 लाख कहा, किसी ने कुछ किन्तु कुछ अखबार 15–20 लाख का नुकसान बताते हैं । तो

[श्री बुद्ध प्रिय मौर्य]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नामजद एफ० आई० आर० है, उसमें नाम लिया गया है कि इस जमींदार के इशारे पर यह आग लगाई गई। तो क्या जमींदार को गिरफ्तार किया गया है? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं? क्या जमींदार फरार है? क्या उसके बेटे फरार हैं? लेकिन हमको बताया गया कि जमींदार फरार है। मेरी जानकारी में लाया गया है कि कल सुबह तो वह घर पर था। इसका भी स्पष्टीकरण करें।

श्रीमन्, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह तनाव की स्थिति वहां एक दिन, दो दिन की थी या पुरानी थी। कई महीनों से यह तनाव की स्थिति चल रही थी एसा मुझे बताया गया। तो वहां पर जब एसी तनाव की स्थिति थी तो लोकल अथारिटीज ने क्या प्रीकाशन लिया? तनाव था या नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं। हादसा होने से पहले थाने में रपटें हुई हैं या नहीं, मैं यह भी जानना चाहूंगा। थाने की रपटों के अलावा शैडूल्ड कास्ट के लोगों के डेलीगेशन एस० पी० और कलैक्टर से मिले हैं या नहीं? मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्री इस ओर भी ध्यान दें ताकि हम जान सकें, इसके बारे में और ज्यादा आंकडे जान सकें।

श्रीमन्, मैं अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक बयान का सवाल है, यह बयान गृह मंत्री जी ने केवल लखनऊ के सरकारी कर्मचारी के दिये हुए बयान के आधार पर और वह भी आई० जी० के बताये हुए आधार पर दिया है। चीफ सेक्रटरी के पास भी दूसरी रिपोर्ट है। मेरी जानकारी में आया है, मैं अध्यापक रहा हूं, मेरे बहुत से विद्यार्थी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, एक आई० पी० एस० अफसर ने बताया है। जो लखनऊ से रिपोर्ट आई है क्या उसे सदन के पटल पर रखेंगे? अगर उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख दिया जाए तो मेरा विश्वास है कि इस समस्या को हल करने में हमें बहुत हद तक सहायता मिलेगी। श्रीमन्, यही नहीं आज का अखबार उठा कर देख लीजिए छपरा के अंदर पांच घरों को जला दिया गया। जमींदारों ने उन घरों को जलाया है। आप कल का अखबार उठा कर देख लीजिए। पटना में भी जमींदारों ने शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों के घर जला दिये, लोगों को जला दिया। जिस दिन का अखबार आप उठा कर देखेंग उसी दिन के अखबार में आपकी यही कहानी देखने को मिलेगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शैड्यूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स कमीशन की जो रिपोर्ट है 78-79 की उसमें कहा गया है कि हिन्दुस्तान में ऐसी 13 मिनिस्टरियां हैं जहां शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को पूरा रिप्रजेन्टेशन नहीं मिल रहा है। मैं आपको कोट करके बताता क्योंकि आप समय की कमी बता रहे हैं इसलिए मैं नहीं कर सकता। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि शेड्यूल्ड कास्टस और शेडर्यूल्ड ट्राइब्स का रिप्रजेन्टेशन स्वयं केबिनट की सेक्रिटेरिएट में, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में क्लास वन और क्लास टू में आलमोस्ट नेगलेजिबल है। उसमें कहा गया है कि क्लास वन में-निल और क्लास टू में एक परसेंट है। मेरा यह निवेदन है कि इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में या बिहार में या दूसरे प्रदेश हैं उनके जिलों में से एक जिले

में एस० पी० या कलेक्टर शेड्यूल्ड कास्ट का हो या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हो या गैर हिन्दू हो। इसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मैंने देखा है जहां नान हिन्दू कलेक्टर या एस० पी० हुआ है वहां इतने अत्याचार नहीं होते हैं। श्रीमन, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि एक कलेक्टर या एस० पी० ऐसा होना चाहिये जिसका वीकर सेक्शन में विश्वास हो, जिसका माइनोरिटी में विश्वास हो। मैं गृह मंत्री जी के उस बयान को जो उन्होंने अभी दिया है, चुनौती नहीं देना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप तथ्यों पर पहुंचना चाहते हैं, वास्तविकता पर पहुंचना चाहते हैं तो इसी सदन के हर दल के एक सदस्य को आप ले लीजिए और उसके बाद उनको मौके पर भेज दीजिए। जो मैंने बयान दिया है आपके सामने, उसमें आप अन्तर नहीं देखेंगे और जो माननीय मंत्री जी ने बयान दिया है वह निराधार है और उसमें आप अन्तर पायेंगे।

मैं गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो मैंने सुझाव दिया है कि वह माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर करायें कि केवल इस समस्या को लेकर प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की और जहां पर मुख्य मंत्री नहीं हैं जनप्रिय सरकारें नहीं हैं वहां के गवर्नर्स की एक मीटिंग बुलायें और बुला कर इस पर चिन्तन करे कि शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर जो रोजाना अत्याचार हो रहे हैं उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। मेरा निवेदन यह है कि इस बात को टाला न जाए क्योंकि पहले दिन माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया था। मेरा कहना है कि जब आप मामूली से मामूली चीजों को लेकर प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की, गवर्नर्स की मीटिंग बुला सकते हैं तो यह तो बहुत बड़ा मसला है। इस सदन में भी और उस सदन में भी मैं कहता रहा हूं कि देश का बटवारा करने के लिये वे लोग जिम्मेदार नहीं हैं जिन्हें आप बताते हैं। देश के बटवारे के लिये वे लोग जिम्मेदार हैं जो अगुआ समाज के लोग हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती है। वे शोषण करते चले जाते हैं। शोषित समाज में पढ़े-लिखे लोग हैं। शायद ही कोई मुल्क होगा जहां शोषित समाज का लड़का या लड़की बड़ा डाक्टर, साइंटिस्ट या बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर न हो। वे दुनिया में फैले हुए, हैं। आप आग मत भडकाइये और अगर आग भड़क गई तो वह बुझने वाली नहीं हैं। इसलिये आपसे यह कहना चाहूंगा कि अगर आप इन चीजों को रोकना चाहते हैं तो आपको कोई एसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे इस प्रकार के हादसे जो रोज हो रहे हैं, रुक सकें। मैं देख रहा हूं ये रुक नहीं रहे हैं। जब आप मिनिस्ट्री बनाते हैं तो इस तरह की बनाते हैं जिसमें विशेष जाति के लोग ही भरे जाते हैं, चाहे केन्द्र की सरकार हो या प्रदेशों की सरकारें हों। मन्त्री जब आप बनाते हैं तो किसी खास बिरादरी के लोगों को भर्ती करते हैं और उसमें उनकी आबादी के हिसाब से 15 गुना 20 गुना ज्यादा लोग होते हैं। जहां तक शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल है, मुसलमानों का सवाल है, बैकवर्ड का सवाल है उनमें से नमूने के तौर पर कुछ लोगों को ले लेते हैं।

श्री भा० दे० खोबरागडे (महाराष्ट्र): कौन सी बिरादरी के भरे जाते हैं?

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : कौन सी बिरादरी के ज्यादा भरे जाते हैं यह आप स्वयं जानते हैं । क्यों आप मुझ से पूछना चाहते हैं । एक ही बिरादरी के लोग भरे जाते हैं और फिर आप धर्म के नाम पर, जनतंत्र के नाम पर शासन करते हैं, सिद्धांत के आधार पर शासन करते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा । अगर आप सेक्रेटरीज को उठा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि वे सब एक ही बिरादरी के हैं । आप देख सकते हैं कि कौन-कौन जोयन्ट सेक्रेटरी किस बिरादरी का है । यही नहीं चीफ सेक्रेटरीज को भी उठा कर आप देख लीजिये उनमें आपको कुछ खास बिरादरी के लोग ही मिलेंगे । शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज और मुसलमानों में क्या योग्य लोग नहीं हैं सैकडों ऐसे आदमी दे सकता हूं, वे काफी योग्य हैं और बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि ज्यादा योग्य हैं । लेकिन उनकी डिसक्वालिफिकेशन यह है कि वे जिस समाज के हैं उस पर नेतृत्व का विश्वास नहीं है और आज भी नेतृत्व का उन पर विश्वास नहीं रहा है । वे लोग चुनौती, चेलेन्ज दे सकते हैं और चेलेन्ज आया भी है । यह दूसरी बात है कि वह गलत तरीके से आया है । अगर सही तरीके से चेलेन्ज आता तो उसका रास्ता भी निकल सकता था ।

आखिर में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी ने यह बयान दे दिया कि इसमें एग्रीकलचरल लेबर नहीं है । जिन लोगों के घरों को जलाया गया है उनमें एग्रीकलचरल लेबर नहीं है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 42 घर एग्रीकलचरल लेबर के थे और इनमें बाकी सफाई मजदूरों के थे । उन लोगों के घर उसी जमीन के ऊपर थे, खेत में थे और उस खेत में थे जिसके बारे में लेटीगेशन चल रहा था, मुकदमा चल रहा था । मुकदमें के बाद यह झगडा पैदा हुआ । इसलिए मैं इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह लैण्ड रिफार्म को मजबूती के साथ लागू करे । खेत उस आदमी का होना चाहिए जो उस खेत में हल चलाता है, खेत को जोतता है । खेत उस आदमी का नहीं होना चाहिए जो दिल्ली, लखनऊ या मद्रास में रहता है । जहां तक सरकार का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की । इस मर्ज का हल निकाला जाना चाहिए । मैं कभी भी साम्यवादी नहीं रहा, लेकिन साम्यवाद से मेरा लगाव रहा । मैं साम्यवादी नहीं हूं । लेकिन मेरे जैसे लोगों के मन में जब तिरंगे झंडे पर ज्यादा विश्वास नहीं रहा है और लाल झण्डा ही इसका हल निकाल सकता है, यह विचार मन में आ रहा है ।

श्री भा० दे० खोबरागड़े : नीला झण्डा क्यों नहीं ?

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : नीले में ज्यादा दम नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका कुछ रास्ता निकाला जाना चाहिए । जहां तक सरकार का सवाल है, मुझे इस मौके पर एक शेर याद आ रहा है—

"लेता हो जहां सिसकी, मुफलिस का तने लागर।
मैं एसी हुकूमत का पिंदार बदल दूंगा,
फलने न कभी दूगा मैं जुल्म की टहनी को,
जालिम तेरी किश्ती का पतवार बदल दूंगा।"

श्री योगेन्द्र मकवाणा : ग्रनरेबल मेम्बर ने काफी बातें बताई हैं ।

श्री नरसिंह प्रसाद नन्द (उडीसा) : ज्ञानी जी को बोलने दीजिये।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : ज्ञानी जी भी बोलेंगे। आप कृपया शान्त रहिये। माननीय सदस्य ने जो बातें बताई है उस पर हम विचार करेंगे। उन्होंने काफी सजेशन्स दिये हैं। उनके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि हम उनको देखेंगे। लेकिन जो प्रश्न उन्होने यहां उठाये हैं उनके बारे में मैं जवाब देना चाहूंगा। जहां तक संतों की बात है उनके बारे में. तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन यह बात सच है कि इस देश में जो साधु सन्त इस मामले में आगे आएं, अगर वे इस संबंध में सहयोग दें तो इस कलंक को मिटाया जा सकता है और अभी जो कुछ इस देश में हो रहा है उसको मिटाने में काफी मदद होगी। यह बात हमारे साधु संतों के हाथ में हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं। जहां तक इस बात का संबंध है कि कितने लोग बेघर हुए हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि 73 झोंपड़ियां जल गई थीं। वह बात सही है। यह तो माननीय सदस्य ने खुद भी कहा है कि यह ठीक संख्या है। लेकिन 12 सौ लोग बेघर हुए यह तो मैं नहीं कह सकता हूं। मेरे पास इस बारे में फीगर्स नहीं है। उसकी तलाश में जरूर करूंगा।

श्री भा० द० खोबरागडे : वहां पर एग्रीकलचरल लेबर्स थे ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : मैं एक एक करके बता रहा हूं। उन्होने कहा कि तीन आदमियों की हत्या हुई है। लेकिन हमारे पास जो इन्फरमेशन है उसके मुताबिक कोई मरा नहीं है। अकेले एक औरत को थोड़ी इंजरी हुई है, इंजरी हुई है। जहां तक इस बात का सवाल है कि ये झोंपड़िया वहां पर कब से थी, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है वे काफी समय से वहां पर थीं, लेकिन वे लोग वहां रहते नहीं थे, वे लोग अपने टाउन या गांव में रहते थे। वहां कभी कभी आते हैं कभी कभी जाते हैं। अकेली तीन झोंपड़ियां ऐसी है जिनमें परमानेन्टली लोग रहते हैं। उनमें से एक की औरत जल गई है। वह तीन जो कुटम्ब वहां रहते हैं उनमें से एक है। कब आग लगी तो वह 2.30 पी० एम० दिन को आग लगी थी और जब आग लगी तो इमीडियटली वहां फायर ब्रिग्रेड पहुंच गई थी और उसने आग को बुझा दिया।

श्री सदाशिव बागाईतकर (महाराष्ट्र): आग कब लगी समय बताइये ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : समय है 2.30 पी० एम० दिन में।

श्री जगजीत सिंह आनन्द (पंजाब): आग जब लगी तो वह पहुंचे कब ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा: वह वहां इमीडियेटली पहुंचे।

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: Sir, I am on a point of order. The statement says: "......burnt on the night of March 15, 1980." This is the main statement of the hon. Home Minister.

MR. CHAIRMAN: He is giving the time. Do you want to know how long the fire lasted?

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: Was it 2.30 A. M. or 2.30 P. M. (*Interruptions*).

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Just now I received a telephonic message from the State Government and according to it, it is 2.30 P.M. The previous information was.... (*Interruptions*)

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : श्रीमन् क्षमा करना, जो मैंने बयान दिया है उसमें नाइट बताया गया है आन दि नाइट आफ फिफटीन्थ। इसी तरह से अब लेटस्ट इन्फार्मेशन मंत्री महोदय को मिलेगी कि तीन आदमी मरे हैं। इसी तरह

[श्री बुद्ध प्रिय मर्य]

लटेस्ट इन्फार्मेशन मिलेगी कि 12 सौ आदमी बेघरबार हो गय हैं। श्रीमन् . . .

श्री सभापति : उनके पास जो अभी . . .

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : मेरा मतलब है who will be responsible. My submission is only this.

श्री सभापति : उनकी मालूमात तो सुने।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है मुख्य बयान में 15 मार्च का नाइट को आग लगी यह है। श्रीमन् मेरा निवेदन यह है कि अब माननीय मंत्री जी अपना बयान बदल रहे है और इसी तरह से बयान बदलता चला जायेगा।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : बदलने का कोई सवाल नहीं है। Sir, if you refer to the record, the time has not been given. It is a cyclostyled thing, I have cut it off. Even while reading I had taken care about it and said "....got burnt on March 15, 1980......" The word 'night' was there in the cyclostyled statement, but I did not read it. I have not read it.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: It was read in the House. It may be checked up from the tape-recorder.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: On a point of order. Let us refer to the proceedings of the House and see what is recorded there. whether it occurred in the night or during the day.

MR. CHAIRMAN: The question is whether it is A.M. or P.M.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: Because the hon. Minister is contradicting it, we will refer to the records. (*Interruptions*)

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): Sir, even taking it for granted that the latest statement of the Minister is a correct one.... (*Interruptions*) Even assuming that the statement now made by the hon. Minister is correct, is it not more serious that an occurrence like this took place in open day light? Does it not make the matter worse that people are bold enough to come forward to do such heinous things during the day time with impunity? Does it not speak more seriously and more adversely against the Government?

MR. CHAIRMAN: Very good.

SHRI K. K. MADHAVAN: I want an answer.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: My point has not been answered: What has been recorded in the proceedings?

MR. CHAIRMAN: I am taking it out.

SHRI K. K. MADHAVAN: I was seeking an information.

MR. CHAIRMAN: I will read out:

> "....73 huts unauthorisedly put up on Municipal Board land in Bangiagaon locality on the outskirts of Moradabad city, Uttar Pradesh, got burnt on the night of March 15, 1980."

SHRI B. D. KHOBRAGADE: Sir, there is contradiction now. It has been recorded in the proceedings of the House that the place was burnt in the night. Now he is saying that it was ment in which "night" was not mention be on the record.

SHRI P. RAMAMURTI (Tamil Nadu): It is already on the record.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, I can assure that I have read the statement in which night" was not mentioned.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: In that case he is casting aspersions on the staff that the proceedings are not recorded correctly. He is only casting aspersions on the officers.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Because there was a lot of noise they might have gone by the cyclostyled copy.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: In the Lok Sabha also he has men-

tioned "on the night of the 15th", Sir. Should I bring the proceedings of the Lok Sabha, Sir?

MR. CHAIRMAN: You read it out, did you not?

गृह मंत्री (ज्ञानी जैल सिंह): सत्कारयोग चैयरमैन साहब यह जो स्टेटमेंट था लफ्ज नाइट उसमें सरकुलेट हुआ है और लोक सभा में भी जब मैंने स्टेटमेंट दिया तो थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला मिली कि यह कमफर्म नहीं हुआ कि टाइम नाइट का था या डे का था इसलिए उसको काट दिया गया था और उसमें भी काटा गया है। यहां भी काटा गया है। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि हाऊस के मैम्बर, साहबान इस बात पर कोई बहुत आपत्ति न करें क्योंकि यह जो मौर्य साहब ने फरमाया है उस बात पर सहमत हूं। पहले भी माननीय सदस्यों ने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट के वर्शन पर ही नहीं रहना चाहिए बल्कि हमें और भी जानकारी करनी चाहिए तो इसके लिए मैं आपका भी और मैम्बर सहबान का बहुत आभारी हूं कि आपने वक्त दिया और मैम्बर साहबान ने अपने ख्यालात जाहिर किए। मिनिस्टर आफ स्टेट जल्दी से जल्दी वहां जायेंगे और जा कर सारी बात की इन्क्वायरी करेंगे। माननीय सदस्य ने यह कहा कि 1200 आदमी बेघर हुए हैं और 3 आदमी मारे गए हैं........

SHRI B. D. KHOBRAGADE: On this, one point only. I just want to mention that उन्होंने कहा कि रात को हुआ। उनको खबर जो मिली उसके मुताबिक अभी कहते हैं दोपहर को हुआ। हम उनको दोष नहीं देना चाहते लकिन जिन अफसरों ने सूचना भेजी कि दोपहर को हुआ और बाद में कह दिया की रात को हुआ फिर कहते हैं दोपहर को हुआ। What action is the hon. Minister going to take against those officers who have given the wrong information? That is a very important question. The incident occurred in the midnight. Let him be specific about it. They said that it occurred in the midnight, and now they say that it occurred in day time. Who is the officer responsible for giving this wrong information? We want to know this thing. And secondly, is the hon. Minister going to take action against the officer who has given the wrong information?

MR. CHAIRMAN: The matter is in the hands of Mr. Maurya who is quite capable of putting all that.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: No, Sir. Any Member can ask a question.

MR. CHAIRMAN: I see. All right. That is all right.

SHRI B. D KHOBRAGADE: I want this clarification. Is the hon. Minister going to take any action against the officer who has given the wrong information?

श्री सभापति: यह गलती कहां से शुरु हुई, यह बताइये।

श्री भा० दे० खोबरागडे: गलती का जिम्मदार कौन है, पनिशमेंट क्या है?

ज्ञानी जैल सिंह: मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जहाँ से रिपोर्ट हमारे पास आई वहां से गलती शुरु हुई। मैं माननीय सदस्य के सेंटीमेंट का सत्कार करता हूं।

श्री भा० दे० खोबरागडे: सेंटीमेंट का सवाल नहीं।

ज्ञानी जैल सिंह: मैं यह कह रहा हूं कि प्रापर एक्शन लिया जाएगा। क्यों गलत बात उन्होंने बताई।

SHRI B. D. KHOBRAGADE: We want that assurance.

ज्ञानी जैल सिंह: इसमें हमारी और भी ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि मिनिस्टर झूठा हो जाता है अगर कोई गलत बात बता दे तो इसलिए मैं आपकी बात की कद्र करता हूं।

श्री सभापति : : इत्मीनान दिला रहे हैं ।

ज्ञानी जैल सिंह : हां, मैं इत्मीनान दिला रहा हूं कि हम प्रापर ऐक्शन लेंगे और जिस अफसर ने यह गलती की है उस गलती के मुताबिक उसको जो सजा मिलनी चाहिए वह देंगे ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : . आपने अभी फरमाया कि गलती के लिए जो दोषी हैं आप उनको सजा करेंगे, यह बात मान ली । मैं कल के स्टेटमैंट को रेफर कर रहा हूं जिसमें यह कहा गया है कि अफसर लोग ए० डी० एम०, एस० एस० पी० ने स्पाट पर जाकर इन्क्वारी की थी, तो अगर उन्होंने इन्क्वायरी को तो क्या टाईम का लिहाज नहीं किया कि किस टाईम पर यह हुआ ।

श्री सभापति : जब आपका नाम है तो आप अपने वक्त पर पूछ लीजियेगा ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : : मैंने सवाल इसलिए उठाया कि वे कह रहे हैं पुलिस के बारे में कि पुलिस अफसर गये हैं, यह मकवाणा साहब के स्टेटमेंट में दर्ज है ।

श्री सभापति : अभी आपका टर्न आ रहा है उस वक्त पूछ लीजियेगा ।

ज्ञानी जैल सिंह : यह एल्डर्स का हाऊस है, इसमें तो हम सब लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी है इसलिए जब उनका टाईम मुकर्रर है तो वह तब बात कर लें । या यह कर देते कि मिनिस्टर साहब सबके बाद में ही जवाब दें । अब साथ साथ जवाब मिल रहा है तो यह भी एक तरीका है, इसमें कोई गलत बात नहीं है । मुझे आपने इजाजत दी है । मैं चन्द शब्द कहकर आपसे आज्ञा ले लूगा । मौर्य साहब का यह कहना कि तीन आदमियों की हत्या हो गयी है । मौर्य साहब भी डाऊट में हैं । उनका ख्याल है कि अखबारों की जो खबर है उसकी और जो सरकारी रिपोर्ट है, उसकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी बात सच्ची है । इसके लिए हम इत्तिफाक करते हैं कि हम इसकी जानकारी करेंगे । अगर यह गलत रिपोर्ट हुई और तीन आदमियों की हत्या हुई और उसमें जो हत्या करने वाले हैं उनको तो सजा मिलेगी ही पर जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी है उनको भी सजा दी जायगी ।

SHRI DINESH GOSWAMI: Sir, I am on a point of order. This is the point which I raised at the very beginning. The point is, under the Constitution of India, today the State of Uttar Pradesh is under the rule of the Union Government. Therefore, whatever statement be makes must be a statement of the Union Government. Even if he wants to make an investigation through the machinery of the State Government, the Union Government must take the responsibility. Therefore, in the statement he could have said, "We have no information of any death." But he has made an almost categorical statement that there has been no death. Now he is trying to get over it by saying that they will make an investigation and inform the House correctly. That is why I want the Home Ministry to take the responsibility. Otherwise he will make a statement and later on when we prove that he is wrong, he will evade it by saying "It is not my own statement." When a statement is made, it should be made with a certain amount of responsibility. In any case, when the Minister is not in a position to make a statement, he should take the House into confidence and say, "We are not in a position to give information now. We will make an investigation and give correct information later on." Otherwise the House loses much of its importance and respectability.

MR. CHAIRMAN: You are right there.

ज्ञानी जैल सिंह : यह बात एक मेम्बर ने पहले भी कही थी। उसका जवाब मिनिस्टर आफ स्टेट ने दिया कि अन्डर प्रेजीडेंट रुल, होने के बाद एक सरकार की मशीनरी वहां रहती है और गवर्नर उसका इंचार्ज होता है, उसके साथ एडवाईजर भी होते हैं। आखिर सरकार से, अगर स्टेट गवर्नमेंट से ही सवाल पूछा जाये, असेम्बली से भी पूछा जाये तो वह भी बतायेंगे कि किस आधार पर आपने रिपोर्ट दी है। मिनिस्टर का स्टेटमेंट जो है उसमें मिनिस्टर ने यही बताया है कि मैं किस आधार पर आपको स्टेटमैंट दे रहा हूं। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

आनरेबुल मौर्य जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। उन्होंने कहा है कि यह जो अफसर लोग हैं ये गरीबों की बात नहीं सुनते हैं, मैं उनकी इस बात से प्रभावित हूं कि कुछ जगहों पर ऐसी बात है।

एक माननीय सदस्य : : प्रभावित हैं या सहमत हैं।

ज्ञानी जैल सिंह : कुछ जगह पर ऐसी बात है लेकिन आम यह कहना कि अफसर लोग जो हैं वे बिल्कुल उनकी बात नहीं सुनते हैं, यह सही नहीं है। मगर एक जमाना आया, उस जमाने के अंदर कम्यूनलिज्म जो था—जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे—उसकी बजाए कास्टीइज्म हो गया। कास्टीइज्म बढ़ने के साथ-साथ, मेरी नोटिस में ऐसी बातें आई हैं कि एक ही कास्ट के आई० जी०, आई० पी०, डी० एस० पी०, थानेदार लगे हुए हैं और वे अपनी रिपोर्ट खुद ब खुद उसमें समाप्त कर जाते हैं। एक गरीब आदमी की रिपोर्ट थाने तक नहीं पहुंच पाती। तो हम इस के लिए इंतजाम करेंगे मगर मैं आनरेबुल मेम्बर साहबान से यह कहूंगा कि ऐसे वक्त पर जब आप के ऐसे जज्बात हों तो गौर कीजिए, यह किस वक्त की बात है, किस ने की है। उन्होंने तो अच्छा शेर कहा, लेकिन मौर्य जी के चेयरमैन साहब, आपकी मार्फत सुनाता हूं :

"फरिस्तों, हम से बचा देना गुनाह मेरे
मगर ये बात जवानी की थी।"

ये सब बातें उस वक्त की हैं मौर्य साहब जब आप हमारा साथ छोड़ गए थे और उस ताकत को ताकत दी आपने जो ताकत इस बात की जिम्मेवार है कि अमीर आदमी कमजोर और गरीब लोगों को दबा सकें, मार सकें, पीट सकें, और उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे आशा है, वे सब को कोआपरेशन देंगे वरना—

"नजर आते हैं हर इकरार में इन्कार के पहलु
मोहब्बत इस जमाने में सियासत होती जाती है।"

उन का यह कहना कि 73 मकानों के लिए जो धन की राशि दी गई है यह बहुत कम है, यह मैं भी मानता हूं। लेकिन इस बात का ख्याल रखने की जरुरत है कि यह पहली बार प्रिलिमिनरी स्टेज पर उनको इतनी राशि देकर खड़ा किया गया है और हम उस को एग्जामिन करके देख रहे हैं और 200 रु० पर हेड प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फण्ड से दिया गया है; वह पहले इसमें शामिल नहीं था। मगर मैं मौर्य जी से कहूंगा कि जो झोपडी है उस को आप मकान नहीं कह सकते, झोंपडी कितने में बनती है, मकान कितने में

[ज्ञानी जैल सिंह]

बनता है, इस का आप को खयाल रखना चाहिए । जितनी बार आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वह मकान का लफ्ज इस्तेमाल किया है । लेकिन वह मकान नहीं थे । मैं इस बात से सहमत हूं कि जो बेघर लोग हैं, ख्वाह वे अग्रिकलचर लेबर हो या और कोई काम करते हों, जो बेघर हैं जिनका कोई घर नहीं हैं उन को हिन्दुस्तान में घर देना होगा । यह हमारी जिम्मेवारी है । अगर किसी लैण्डलार्ड की जमीन पर बैठे हुए उन को बहुत मुद्दत बीत गई है मगर उन के नाम पर वह जगह नहीं लगी तो इस की जिम्मेवारी भी हम लेते हैं कि या तो वह जमीन उन को दिलायेंगे या और जगह पर जमीन दिलायेंगे । उन के बेघर होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता । उस में भी हमारी जरूरत है कि मौर्य जी अपनी पार्टी से हम को कोआपरेशन दिला दें ।

श्री भा० दे० खोबरागडे : उन की कोई पार्टी नहीं है, वह इंडिपेंडेंट हैं अब ।

ज्ञानी जैल सिंह : क्या इंडिपेंडेट हो गए ?

श्री भा० दे० खोबरागडे : आपको मालूम नहीं है ?

श्री जगजीत सह आनन्द : ज्ञानी जी, मौर्य साहब यहां थे अभी इधर चले गये। मौर्य साहब यहां से चले और वहां पहुचे और वहां से चले थे यहां पहुच गये हैं और आपके वहां पहुचने वाले हैं : यह सोच कर शेर कहिये। अब आप के पास आने वाले हैं :

ज्ञानी जैल सिंह : भले आदमी जितने ही आ जाएं उतना ही अच्छा है : सही बात है कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था।

श्री सभापति : ज्ञानी जी, आप इन से उलझिये नहीं। आप के लिये तो यह शेर है—

"जब कोई फितना जमाने में नया उठता है
वोह इशारे से बता देते है तुरबत मेरी"

ज्ञानी जैल सिंह : चैयरमैन साहब ने तो कमाल कर दिया :

[**Mr. Deputy Chairman** in the Chair]

एक बात और की है : गवर्नरों की और मुख्य मंत्रियों की मीटिंग बुलाने का फैसला किया है। उस में यह बात प्रोमीनेन्टली होगी कि वीकर सेक्शन जो सोसायटी का है उस पर जो मार पड़ती है उस को कैसे रोका जाय और इस के लिये क्या इन्तजामात किये जाये।

उन्होंने यह भी पूछा कि एफ आई आर कब दाखिल हुई। इस का भी हम पता कर के बता देंगे : हम तो हाउस के भी सेवक हैं। बात तो वह रिलेवेन्ट नहीं थी कि मौर्य जी कहां से कहां पहुंच गये लेकिन कभी-कभी ऐसी बात भी करनी पड़ती है। यह बहुत शानदार तरीके से तकरीर करते हैं क्यों कि बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े क्वालीफाइड है, इस लिये एक जगह पर ठहरना बहुत मुश्किल होता है समझदार आदमी का। मैं समझता हूं कि परमात्मा उन को ताकत दे कि जहां बैठना है वहीं बैठ जाये—मुश्किल से यह जगह मिली।

श्री जगजीत सिंह आनन्द : यह जो मुहब्बत में टाइम जाया हुआ यह हमारे मोशन से न निकाला जाये :

श्री सदाशिव बागाईतकर : उपसभापति महोदय, इस मसले पर हम लोग आये दिन चर्चा करते हैं, हम सब को शर्म महसूस करनी चाहिये। आजादी के तीस साल बाद इस किस्म की घटनाये हर दिन होती आयी हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे मामलों के बारे में दलीय विचारों से ऊपर उठ कर हम लोग नम्रता से सोचें।

SHRI B. D. KHOBRAGADE: Sir, on a point of order. Sir, if the honourable Home Minister is going now, there is no point in going on with this discussion. I think the honourable Home Minister is leaving. If the honourable Minister is leaving, than there is no point in carrying on with this discussion. This is an important matter and the honourable Minister is leaving. Let us adjourn and now find out the time that is convenient to the honourable Home Minister. I raised this point yesterday also and said that this being a very important question the honourable Home Minister should be present through out the whole discussion. Let us stop now and let us adjourn. I do not mind it. But the honourable Home Minister should be present here.

SHRI MAHENDRA MOHAN MISHRA (Bihar): Sir, the Minister of State is here.

The Home Minister has replied already. (*Interruptions*).

SHRI SHYAM LAL YADAV (Uttar Pradesh): Sir, he Home Minister has already replied and the Minister of State is here. (*Interruptions*).

SHRI B. D. KHOBRAGADE: Sir, I will be satisfied if the honourable Minister has gone for a couple of minutes and if he is coming back. They say that he has gone for a couple of minutes only. If it is so, let the discussion continue. I have no objection. They say that he is coming back. He should be present here. My concern is that he should be present in the House when this important matter is being discussed. Let him be here. (*Interruptions*).

SHRI SHYAM LAL YADAV: Sir, my submission is that the Home Minister was present here and he has replied to the discussion. Sir, he has some business in the other House also and he has gone. (*Interruptions*). If this procedure is followed, then it will be very difficult to carry on.

MR DEPUTY CHAIRMAN: I would like to remind the Members of the observations of the Chairman that this will end at 1-30. So, keeping that in mind, please be brief so that more Members can be accommodated. Otherwise, we will close it at 1-30.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: Sir, you see from the way in which it has been conducted how much time has been taken and how much time is left for us. This is a very serious point, Sir. Please hear with us.

यहां तो मुहब्बत भी चलती रही, व्याख्यान भी होते रहे। हम ने चेयरमेन साहब को पहले भी कहा था कि यह डेढ़ बजे तक पूरा नहीं हो सकेगा।

श्री भा० दे० खोबरागडे : शायरी भी चलती रही।

श्री जगजीत सिंह आनन्द : शायरी भी चलती रही।

Please assure us. This is not a situation which can be allowed to go on like this. (*Interruptions*).

SHRI B. D KHOBRAGADE: You are giving me only a few minutes for speaking on this important matter relating to the Scheduled Castes. This is an important question in this country now and there is no time-limit for that.

[Shri B. D. Khobragade]

Calling Attentions have been going on for the whole day.... (*Interruptions*) Let the hon. Minister say that this is only for one hour, that one hour, that one hour is allotted for scheduled Castes, I am satisfied.

अरे, दो दो दिन चले हैं काल अटेंशन और यहां शेड्यूल्ड कास्ट पर एट्रोसिटीज पर केवल एक घंटा दे रहे हों :

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : उपसभापति जी, जैसा कि चेम्बर में सभी दल के लोगों ने मिल कर निर्णय किया था कि काल अटेंशन डेढ़ बजे समाप्त हो जायगा : यह उन सब का निर्णय था और जब आलरेडी तय हो चुका है चेम्बर में, अगर सभी दल के लोगों ने इस तरह का फैसला ले लिया है तो उस समय मैंने संशय किया था कि यहां आप निर्णय तो कर लते हो मगर हाउस में शोर मचाते हो : इस लिये मेरा आप से निवेदन है (*Interruptions*) कि जैसा निर्णय चेम्बर में हुआ है उस को ही आप क्रियात्मक रूप दें। मैं ने इस बारे में वहां संशय प्रकट किया था कि वहां के निर्णय को यहां आप उलटते हैं । मैं चाहता हूं कि उस निर्णय का कड़ाई से पालन किया जाय ।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: Mr. Deputy Chairman, Sir, there is a limit on this. We started at 12-10. Two names had been finished when the Chairman himself was the conductor. At 1.25... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bagaitkar.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: I raised this issue in the beginning. We are not going to suffer because of this (*Interruptions*) Shera sheri hoti rahi (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bagaitkar.

श्री सदाशिव बागाईतकर : उपसभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि आये दिन इस तरह की जो घटनायें होती रहती हैं उनसे एक ही चीज का पता चलता है कि इस मामले में मुल्क की सेहत बहुत गंभीरता से बिगड़ रही है और जो हिंसा और वैमनस्य का वातावरण नीचे तबके के लागों के साथ बढ़ता जा रहा है, अन्याय का वातावरण बढ़ता जा रहा है उससे एक गंभीर संकट मुल्क के सामने पैदा हो सकता है। अभी जब हम चीज पर बहस कर रहे हैं तो मैं आप की खिदमत में एक और हकीकत पेश करना चाहूंगा । मेरे पास यह सूचना आयी है, बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर श्री कर्पूरी ठाकुर से मुझे यह सूचना मिली है जिस को रबी राय जी ने मुझे पहुंचा दिया है कि मधुबनी जिले के बेला गांव में जो जयनगर थाने में आता है, 17 तारीख की रात को साढ़े आठ बजे पुलिस ने 7 घर जला दिये हैं हरिजनों के । पुलिस ने जला दिये हैं और इस की खबर देने के लिये सत्यनारायण गुप्ता का एक वहां का रहने वाला आदमी जब पुलिस स्टेशन पर गया तो उस को पुलिस ने गिरफ्तार कर के रख लिया । गृह मंत्री जी यहां बैठ हुए हैं । यह खबर अखबार में आज तक नहीं आयी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस पर गंभीरता से सोचें । पुलिस के लोग अगर हरिजनों के घर जलाने का काम करने जा रहे हैं तो ला ऐंड आर्डर की स्थिति इस देश में क्या होगी । इसलिये एक तरफ जहां यह पूरे देश के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिए वहां दूसरी तरफ यह सारी परिस्थिति इतनी तेजी से क्यों बिगड़ रही है इस के बारे में भी हम को गंभीरता से सोचना चाहिए । और मैं चाहूंगा कि शासक दल के लोग खास कर ऐसे सवालों को राजनीतिक दृष्टि से न देखें । इस में किसी की राजनीति नहीं है । अगर हरिजनों पर इस तरह से अत्याचार होते रहेंगे तो देश टूटेगा

और देश को आप बचा नहीं पायेंगे और मेरे जैसे लोग उस बढ़ते हुए अन्याय के खिलाफ जो पिछड़े हुए हैं, जो हरिजन हैं, जो दबे हुए हैं, उन के साथ जायेंगे। यह कांड जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं यह अकेला ही ऐसा कांड नहीं है। यह तो एक श्रृंखला शुरू हुई है और यह श्रृखला बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस का कारण क्या है इसके बारे में हम को और आप को चिन्तन करना चाहिए। तो मैं गृह मंत्री जी और शासक दल से अपील करूंगा कि आप लोगों को इन मामलों को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर आप ने ऐसे मामलों को राजनीतिक दृष्टि से देखना शुरु किया और इसका राजनैतिक दृष्टि से फायदा उठाने की कोशिश की तो यह ब्रह्म राक्षस, यह भस्मासुर, जिसको आप ने उठाया है वह आप को भी भस्म करने पर आमादा है, वह आप को खा जायेगा इसको आप भूलिये मत। इसलिये मैं चाहूंगा कि एक तो आप अपनी दृष्टि साफ रखें। अभी स्टेटमेंट के बाद जो मैं चेयरमैन साहब को फरमा रहा था कि यह स्टेटमेंट जो कल मकवाणा साहब ने दिया है उसमें वह कहते हैं कि :

The D. M. and S. P. have visited the spot.

अगर डी० एम० और एस० एस० पी० वहां पर जाकर देखकर आते हैं तो समय की गलती कैसे हो सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आ सकता। अगर आप कहते हैं कि वह जाकर देखकर आये हैं तो समय के बारे में झमेला क्यों? मुझे तो यह शंका है कि वहां के काण्ड में जिनका हाथ है उन को संरक्षण देने की दृष्टि से, उनके बचाव की दृष्टि से, एफ० आई० आर० में जो हमेशा हुआ करता है, उस तरह की बात हो रही है और इस साजिश में हो सकता है कि आपके डी० एम० और एस० एस० पी० शरीक हों, यह शंका उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह समय का जो मामला है, दो अलग-अलग समय दिये जा रहे हैं, वह कोई मामूली घटना नहीं है। एक तो यह कि जहां तक पुलिस कानून, ला एण्ड आर्डर का सवाल है वह तो पूरी तरह से देश में टूट रही है और कहीं भी पिछड़े हुए, दबे हुए लोगों को कानूनी सहायता हो नहीं रही है, एक माहौल भी बन रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ दूसरी चीज़ की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि सिर्फ शासक दल एक होने से, एक की जगह दूसरे प्रधान मंत्री को लाने से इस समस्या का हल को सकता है? कानून के साथ-साथ अगर उनके पास नैतिक शक्ति कुछ नहीं है तो इस माहौल को बदलने में आप कत्तई कामयाब नहीं होंगे, यह ख्याल रखिये। मुझे याद आते हैं वे दिन जब 1930 में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में बैठकर हरिजनों के हित में कुपोषण, अनशन किया था। यहां बैठे हुए कुछ लोग उनसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन गांधी जी ने इस देश में सवर्ण हिन्दुओं में यह भावना जगा दी थी कि हरिजनों की जो स्थिति है उसमें हम अपराधी हैं। यह भावना देश में उन्होंने जगाई। गांधी जी का सारा प्रयास जनजागरण की ओर था। इसलिए उन्होंने लोगों के मन में यह बात जगाई। लेकिन आज सवर्ण हिन्दुओं में उनके प्रति बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि यह मामला ज़मीन और गरीबी से लगा हुआ है। आप हरिजनों को न्याय देने की बात करेंगे और ज़मीन का वितरण नहीं करेंगे, उनकी हिफ़ाज़त करने के लिए, उनके हकूकों की हिफ़ाजत करने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो यह मामला सुलझाने वाला नहीं है। परसों बजट पर बोलते हुए मैंने आंकड़े आपको दिये हैं। ज़मीन के डिस्ट्रीब्यूशन का रेकार्ड आपके पास ठीक नहीं है। हरिजनों में खेतिहर मजदूरों की तादाद बहुत बड़ी संख्या में है। उनकी हिफ़ाज़त जब तक नहीं होगी तब तक समस्या हल नहीं होगी। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, गृह मंत्री जी कि आप उनके प्रोटेक्शन के लिए आर्म्स के लाइसेंस उनको दिलवाइये

उनको खुद की प्रोटक्शन करने की इजाजत दे दीजिए। यह आप नहीं करेंगे तो पुलिस के अफसर जिनमें सवर्ण बड़ी मात्रा में हैं, उन लोगों के भरोसे इनका संरक्षण कभी नहीं हो पायेगा। यह ध्यान में रख लीजिए। जब तक हरिजनों को अपनी हिफाजत करने के लिए हथियार नहीं देंगे, खुद उनमें से प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की योजना नहीं बनायेंगे तब तक इस तरह के शर्मनाक काण्ड होते रहेंगे, घटनायें घटती रहेंगी। वे अपनी जान नहीं बचा पायेंगे। .... (*Interruptions*)

दूसरी बात यह है कि आप अफसरों को शिक्षा दे रहे हैं वह कैसी शिक्षा दे रहे हैं। आप जिनको अछूतों की रक्षा करने, उनकी हिफाजत करने का काम सौंप रहे हैं उनको आप क्या शिक्षा दे रहे हैं। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं कि 50 साल पुराना पुलिस मैन्यूअल आप लगाये चले आ रहे हैं। जो सैक्यूलर आउट-लुक हमारे पुलिस के अफसरों में होना चाहिए, वह नहीं है। आप सेक्युलेरिज्म की बात करते हैं पर मेरे मन में शंका है कि आप लोग सेक्युलर हैं। राज चलाने में आप अपने को सेक्युलर मानते है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं और खुले रूप से पूछना चाहता हूं कि आपकी केबीनेट में कितने ब्राह्मण हैं। अपनी केबीनेट में कितने ब्राह्मणों की भर्ती किया हुआ है? मौर्य साहब यह कहने से हिचके हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसके भी परिणाम लाजिमी हैं। प्रधान मंत्री आये दिन देव देवियों के दर्शन करने चली जाती हैं और अखबारों में छाया होती हैं। गांधी जी ने कहा था कि जिस मंदिर में हरिजन नहीं जाते हैं उसमें मैं भी नहीं जाऊंगा। उस भगवान के मैं दर्शन नहीं करूंगा। जहां तक मैं समझता हूं गांधी जी से ज्यादा ईमानदार और सही तरह से ईश्वर में विश्वास करने वाला कोई नहीं होगा। आपको यह मानना होगा कि लोग सिर्फ सेक्युलरिज्म को अखबारों में छपे आपके भाषणो में नहीं पढ़ते हैं वे सेक्युलरिज्म को आपके आचरण में भी देखते हैं। उपसभापति जी, एक आखिरी उदाहरण देकर मैं समाप्त करता हूं। मुझे 1964-65 का समय याद आता है जब डा० लोहिया ने एक सवाल उठाया था। उस वक्त डा० राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति थे हिन्दुस्तान के। वह एक बार वाराणसी गये थे। उस समय उन्होंने ब्राहमणों के पैर धोने का काम किया और तीर्थ लिया। उनमें से एक ब्राह्मण ऐसा निकला जो वहां से भागा और जिसने जाकर यह कहा कि यह पाप है मैं इसको नहीं करूंगा। जो राष्ट्रपति है वह ब्राह्मणों के पैर धोकर तीर्थ ले यह हिन्दुस्तान के विधान के खिलाफ है। हिन्दुस्तान के सेक्युलरिज्म के कांसेप्ट के खिलाफ है।

श्री भा० दे० खोबरागडे: किस के पैर धोये? राष्ट्रपति के? बिल्कुल गलत है।

श्री सदाशिव बागाईतकर: : मैं यही कह रहा हूं कि राष्ट्रपति ने ब्राह्मणों के पैर धोये और तीर्थ लिया। उन्होंने फिर प्रधान मंत्री को चिट्ठी लिखी कि इस तरह की बात हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति को करना देश के विधान के खिलाफ है।

श्री उपसभापति: आप समाप्त करिये।

श्री रबी राय (उड़ीसा): यह बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। (*Interruptions*)

श्री सदाशिव बागाईतकर: मैं आखिरी बात कह कर समाप्त कर रहा हूं। (*Interruptions*)

श्री उपसभापति: इस तरह से हाउस नहीं चल सकता। आपने 15 मिनट ले लिये हैं। आप कुछ तो सहयोग दीजिए काम चलाने के लिये। दूसरे माननीय सदस्यों को एतराज है कि आप ज्यादा समय ले रहे हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जो समय तय किया गया है उसके मुताबिक यह चलना चाहिये।

श्री सदाशिव बागाईतकर: मैं समझता हूं यह सवाल उसी के साथ जुड़ा हुआ है।

यह सवाल बहुत अहम है, ला एंड आर्डर का सवाल है इसलिये मेरा निवेदन है गृह मंत्री जी से कि क्या आप इस सुझाव का ख्याल रखेंगे कि हरिजनों की हिफाजत के लिये हथियार इशू किये जायेंगे और क्या उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी जिससे उनको अधिकार मिल सकें।

श्री उपसभापति : यह आप पहले कह चुके हैं। हर चीज को आप दोहरा रहे हैं।

श्री सदाशिव बागाईतकर : आखिर में मैं यह कह रहा हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की जो रिपोर्ट है गये दस साल की जो रिकमेंडेशन्स हैं, उन पर कितना अमल हुआ है इसकी भी सही जांच की जाए और नहीं हुआ और तो तुरन्त उनकी रिकमेंडेशन पर अमल होगा इसका आश्वासन सरकार दे दे। यह कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपसभापति : मंत्री महोदय आप कुछ कहना चाहेंगे ?

एक माननीय सदस्य : वे भूल गये होंगे।

ज्ञानी जैल सिंह : क्या कहा आपने ? शेरो सायरी का तो इस वक्त मौका नहीं है। जब चेयरमैन साहब कुछ कहें और मेम्बर साहब फिर कुछ कहें तो शेरों की बात भी करना पड़ती है। यह तो काम का वक्त है। हाउस के वक्त को शेरो सायरी में नहीं लगाना चाहिए।

आनरेबल मेम्बर साहब ने काफी अच्छे सुझाव दिये हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक शंका भी प्रकट की है और कहा है कि इस मसले पर राजनैतिक दृष्टि से नहीं सोचा जाना चाहिए। हम भी कहते हैं कि इस मामले पर राजनैतिक दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि राजनैतिक दृष्टि से इस मसले पर नहीं सोचा जाता है और न ही मैं इस बात का क्रेडिट लेना चाहता हूं कि इस मामले में हम लोगों की हमदर्दी औरों से ज्यादा है। मैं तो सब पर यकीन करता हूं और यह चाहता हूं कि इस देश के सब लोगों में और रिप्रेजेंटेटिव्ज में ऐसी भावना पैदा हो कि वे इस बात का प्रयत्न करें कि वीकर सेक्शन आफ दी सोसयटी को समाज में बराबर का हक मिले और समाज में उनका सत्कार बढ़े। इस तरह के जो अन्याय होते हैं और यहां भी होते हैं उनको रोका जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ दूसरी सांस में उन्होंने यह भी कह दिया कि सरकार खुद इस बात को उछालती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि वैष्णव देवी के मंदिर में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी गई और यह कहा कि जिस मंदिर में हरिजनों को जाने के लिए रोका जाता था उसमें बापू जी नहीं जाया करते थे। मैंने इसकी जानकारी की है। हमारी प्रधान मंत्री जी ऐसे मंदिरों में नहीं जाती हैं जिन मंदिरों में हरिजनों को जाने से रोका जाता है *(Interruptions)* । आप अब शोर मत करिये। आपने अपनी बात कही है, आपको हमारी बात सुनने का भी दिल रखना चाहिए। जहां तक वैष्णव देवी के मंदिर में जाने का सवाल है, हमारे हरिजन मेम्बर श्री रोशन लाल जी ने मुझे बताया है कि वे खुद वहां जाकर यात्रा करते हैं।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार) : श्रीमन्, मैं यह कहना चाहती हूं कि *(Interruptions)*

ज्ञानी जैल सिंह : वे 5 तारीख को गये थे। उस मंदिर में हरिजनों के लिए कोई रोक नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातों को उठाना उचित नहीं है। मैं आनरेबल मेम्बर से यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने जिस भावना में और अच्छी भावना में जो शब्द पहले कहे उसी भावना को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेतृत्व शक्ति के बगैर कानून ज्यादा मदद नहीं कर सकता है और मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि नेतृत्व शक्ति और कानून, ये दोनों शक्तियां जब तक एक साथ हों तो सब कुछ हो जाता है।

[ज्ञानी जैल सिंह]

इस सरकार के पास नेतृत्व शक्ति भी है और कानून भी है। इसलिए हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि ऐसे जुर्म को रोक दिया जाएगा और ये हमेशा के लिए खत्म कर दिये जाएंगे...

(*Interruptions*)

श्री जगजीत सिंह ग्रानन्द : प्रधान मंत्री तो तिरुपति के मंदिर में भी गई हैं। वहां पर तो अनटचैबिलिटी प्रेक्टिस की जाती है...

(*Interruptions*)

ज्ञानी जैल सिंह : कामरेड आनन्द जी हैं क्या कहा, मैंने सुना नहीं।

श्री जगजीत सिंह ग्रानन्द : वैष्णव देवी के मंदिर में तो अनटचैबिलिटी नहीं है, लेकिन तिरुपति में तो है...

(*Interruptions*)

श्रीमती प्रतिभा सिंह: आप इस तरह से क्या बात कर रहे हैं ...

(*Interruptions*)

ज्ञानी जैल सिंह : श्री आनन्द बहुत स्पष्ट बोलने वाले मेम्बर हैं। इनकी बात मैं खूब समझता हूं। लेकिन चूंकि दूसरे मेम्बर भी बोल रहे थे इसलिए मैं उनकी बात समझ नहीं पाया हूं। वे कृपया दुबारा बतायें। मैं उपसभापति जी से कहूंगा कि वे उनको वक्त दें और बतायें कि उन्होंने अभी क्या कहा है।

श्री जगजीत सिंह ग्रानन्द : आपने यह ठीक कहा है कि वैष्णव देवी के मंदिर में अनटचैबिलिटी नहीं है जहां प्रधान मंत्री जी गई। लेकिन और मंदिरों जैसे तिरुपति में जाती हैं जहां कि अनटचैबिलिटी है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी ऐसे मंदिरों में जाती हैं।

ज्ञानी जैल सिंह : उपसभापति जी, मुझे उस रोज बड़ी खुशी हुई जिस रोज कामरेड जगजीत सिंह आनन्द ने नोटिस दिया कि गुरुद्वारे में पूजा करने के लिये रोका जाता है। मैंने समझा कि सी० पी० आई० वाले अब इस बात पर आ गये हैं कि पूजा करनी चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए। तो आज यह कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी मंदिरों में क्यों जाती हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ...

श्री जगजीत सिंह ग्रानन्द : आपने नोटिस की तकरीर को नहीं पढ़ा। हम तो एथस्ट हैं लेकिन हम राइट आफ वर्शिप हर एक का चाहते हैं; क्योंकि यह हमारे कांस्टिट्यूशन में है।

ज्ञानी जैल सिंह : हमको इस बात की खुशी है कि आप राइट आफ वर्शिप की बात करते हैं, यह होना चाहिए। खुदा आपको भी बख्श दे और आप बंदिगी किया करें।

उनका यह ख्याल था कि हरिजनों को भी लाइसेंस दिये जायें। उपसभापति जी, हम इस बात पर जरूर गौर कर रहे हैं। लेकिन हमको सोसाइटी में दंगा और फसाद करने के लिये एक दूसरे को मजबूत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बल्कि एक ऐसा वातावरण पैदा करना है कि हम अपर क्लास के लोगों को यह अहसास करायें कि ये भी इंसान हैं, उनको भी हक है, ये भी हिन्दुस्तानी हैं और उनको अपनी छाती पर लगा लें और उनको अपने पांवो पर चलने दें। अगर हरिजन कहीं गुस्से में आ जायें तो उनको नुकसान हो सकता है। इसलिये हमने कोशिश की है कि हम असलाह लाइसेंस उन लोगों को दें, जिन लोगों के दिल में कोई कास्टिज्म और कम्युनलिज्म बढ़ाने की भावना न हो। इसके लिये हम छांट कर रहे हैं। बिहार में लाइसेंस उनके पास थे जो हरिजनों को मारने वाली पार्टी थी। मैं वहां गया तो हरिजनों ने यही बात कही कि या तो हमको यहां से निकालो, कहीं बसा दो या हमको मार दो या फिर हमको लाइसेंस दो और इनसे छीन लो, इनको न दो और हमको दे दो। ये लोग जमीन, धरती वाले भी रहे, इज्जत भी रही है, सरकारी नौकरियों में भी रहे हैं। इसलिये जरूरत इस बात की है कि ...

श्री भा० दे० खोबरागडे : आपने क्या जवाब दिया ?

ज्ञानी जैल सिंह : मैंने ? मैंने उनको क्या जवाब दिया यह आप जान सकते हैं ।

श्री भा० दे० खोबरागडे : क्या दिया ? आपने कह दिया कि आप जान सकते हैं, आपने इस बात का क्या जवाब दिया ?

ज्ञानी जैल सिंह : मैं यही जवाब दिया कि ऐसी भावना पैदा नहीं करनी है । उनसे छीन कर अगर शस्त्र दे दें तो फिर आप उनसे बदला लेने की कोशिश करेंगे । ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए । पिछली बुराई को खत्म करके आइन्दा के लिये भातृ-भाव, मित्रता पैदा करने का वातावरण पैदा किया जाय और यह हमारी सरकार की ड्यूटी है कि हम आपकी रक्षा करें और आपकी सिक्योरिटी के लिये जो भी इंतजाम करना चाहिए, जो कर सकते हैं वह हर हालत में करेंगे । जोरावरों को इस तरह का खुला लाइसेंस नहीं मिलेगा ।

पुलिस मैनुअल पुराना है यह महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही । चार रोज हुए । हमने अपने महकमे में कुछ आफिसर्स को बुला कर कहा था कि कुछ मैनुअल तथा रूल्स ऐसे हैं जो गुलाम हिन्दुस्तान में बने थे । उसमें कुछ जगह पर अमेंडमेंट हुए हैं और कुछ जगह पर नहीं हुए हैं और उस रोज यह भी हमने सोचा था कि यह बने तो हैं लेकिन इसके हाथ कमजोर हैं । इसके लिए भी हमको मजबूत कदम उठाने चाहिए । तो मैं आनरेबुल मेम्बर से यह कहूंगा कि पुलिस मैनुअल अगर उनके पास हो तो वे जो सुझाव देना चाहते हों वह हमको दे दें । हम उस पर गौर कर रहे हैं ताकि हमारी जो पुलिस है यह माडर्न बन सके । इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आज जो क्रिमिनल एलीमेन्टस हैं वे बहुत एफिशिएन्ट है, बहुत होशियार है, उनके पास बहुत अच्छे वसीले हैं, वे आजकल अच्छी पोशाकें भी पहनते हैं और वे इतनी अच्छी तरह से रहते हैं कि पता भी नहीं लगता है कि वे बदमाश है या भले आदमी हैं इसलिए उनका भी मुकाबला करना है । मैं आनरेबुल मेम्बरान साहब से फिर प्रार्थना करूंगा कि ....

श्री नरसिंह प्रसाद नन्द : आप किस बात का जवाब दे रहे हैं ?

ज्ञानी जैल सिंह : किस बात का ...

श्री नरसिंह प्रसाद नन्द : मुरादाबाद की बात कीजिये । पुलिस की बात क्यों कर रहे हैं ?

ज्ञानी जैल सिंह : उन्होंने पुलिस मैनुअल की बात कही । इसलिये मैंने आनरेबुल मेम्बर के जवाब में यह कहा है कि हम उस पर सोचने के लिये तैयार हैं । आपके दिमाग में कोई सुधार के लिए बात हो तो हमारे पास भेज दे हम उसके ऊपर गौर कर लेंगे मुरादाबाद का ही जवाब है । लेकिन मुरादाबाद का नाम ले कर अगर वैष्णो देवी के मन्दिर पर आप जा सकते हैं तो क्या मैं दूसरी तरफ नहीं जा सकता धन्यवाद ।

Alocation of Time for Disposal of Government and other Business

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform hon. Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 19th March, 1980, allotted time for Government legislative and other Business as follows:

Business	Time Allotted
1. General Discussion on the Budget for 1980-81 and consideration and return of the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1980, and Appropriation Bill, 1980, as, passed by the Lok Sabha in respect of the States of Assam, Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.	1 hour for each State.
2. Consideration and passing of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 1980, as passed by the Lok Sabha .	1 hour.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND (Punjab): Sir, the Calling Attention should continue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me finish. I have to make some announcements.

	Business	Time Allotted
3.	Discussion on the 28th Report of the Union Public Service Commission	1 day
4.	Motion regarding revocation of the Proclamations issued by the President in respect of the States of Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh,	1 day—on Thursday, the 27th March, 1980.
5	Resolution seeking approval of the Proclamations issued by the President in respect of the States of Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.	

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at thirty-two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at five minutes past two of the clock,

The Vice Chairman, (Shri R. R. Morarka) in the Chair.

RE. BUSINESS OF THE HOUSE

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO (Orissa): Mr. Vice-Chairman, I have a submission to make. Before the House adjourned for lunch, the Deputy Chairman made an announcement that when the Business Advisory Committee met in the morning, it had taken some decisions and made some recommendations to the House. Now, Sir, I am a Member of the Business Advisory Committee. We were there alongwith others and the decision that was taken was that the Calling Attention Motion would be carried upto 1.30 and thereafter we would be breaking for lunch and would meet again at 2 o'clock. When it was being discussed whether it should be upto that hour, the practice and the conventions in the House were also discussed that whether the name was there or not in the list of persons calling the attention of the Minister, every group or party in the House got an opportunity to put one Member to speak. Therefore, the understanding was that the matter would be taken up on that basis and one and a half hour would be sufficient for Members from different groups to speak and for the Minister to reply.

What happened in reality here was that two persons and the Minister got one hour to speak and reply. One hour was consumed in two Members' speeches. Then three persons got 22 minutes more and the Minister replied for about 11 or 12 minutes. The Minister himself was feeling—and he said so—that he was answering a debate on the Police Department, or the Home Ministry or on the Scheduled Castes' matters. But this was primarily a Calling Attention Motion regarding a particular incident in Moradabad. We also brought it to notice that the House would be rising for lunch. But he said that when a Member was speaking for hours together, he would have to answer whatever he raised. Therefore, in that process what happened was that one and a half hour was consumed, with the result that many Members of different groups have been deprived of their right to speak. Threfore, the discussion should continue. I pleased to that effect with the Deputy Chairman when he was rising and going out of the House. Therefore, I would request you to allow at least 5 minutes to each Member of the groups which have not participated.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND (Punjab): I want to make one more submission. It was at 1 o'clock when

the Chairman was in the Chair that I pointed out that he was not controlling the House in a manner that things could be settled within one and a half hour. Then, I also submitted when the Deputy Chairman was there that ten names were there and time allotted was 90 minutes and he was then giving the third speaker 22 minutes. Only three people had spoken so far and even those listed to speak on the Motion had not spoken. I would, therefore, beseech you, even if you limit the time to 4 or 5 minutes for each Member, to go ahead with this discussion for those who have been left to make their submissions. This is our request.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): I appreciate your point. But apart from the decision of the Business Advisory Committee, we have clear direction from the Chairman that this discussion would be over at 1.30 P.M. Now the difficulty is that neither the Home Minister nor the Minister of State for Home Affairs is here and, therefore,...

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: You can order them to be present here in five minutes.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: I had pointed out to the Chairman when he was here after Shri Dinesh Goswami had spoken and when Shri Maurya was there, it was already 1.10. After all, it is a question of handling the House. We are not to blame. My valuable colleagues made valuable suggestions. But the way the Home Minister was also replying, "*shero-shairi*" was going on. We were totally not involved. Can't we express our views for 4 or 5 minutes even? I requested Mr. Kesri, the Minister of State for Parliamentary Affairs, to please try to accommodate us in this matter. As far as the Minister and the State Minister for Home Affairs are concerned, they can come here in 5 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): As I said, I fully appreciate your point. But it is not possible for me to over-rule the directions of the Chair.

(*Interruptions*)

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: No question of over-ruling.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: We had pointed this out to the Chairman when he was in the Chair.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: You are fully competent to make a change.

DR. RAMKRIPAL SINHA (Bihar): With all respect due to him, the Chairman when he was presiding over the Business Advisory Committee, he listened to the suggestion that no Member would be given more than 5 minutes and all the parties would be covered. And on this basis it was agreed that it would anyway be over at 1.30 P.M. Who is responsible for this? It is after all the way of running the House. One Member is given half an hour and another also half an hour. Either you hold the debate for the whole day or you stick to the decision that all the parties would be given the opportunity to participate and put questions. What is this?

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: Two independent Members, Shri Goswami and Shri Maurya only spoke. They were making suggestions...

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: The Chairman was in the Chair and it was for him to control the House.

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : इसी लिए मैंने कहा था कि ग्रापकी बात दुरंगी होती है। जब चेम्बर में फैसला हो गया कि हम लोग ग्रपने-ग्रपने दल क लोगों को नियंत्रित करेंगे ग्रौर जो समय निश्चित हुग्रा है उसके ग्रनुसार सदन को चलने देंगे तब सब दलों का फर्ज था कि ग्रपने दल के वक्ता को कहते कि इससे ग्रधिक समय न लो। जब यह तय हो

[श्री सीता राम केसरी]

गया था कि डेढ़ घंटा मिलेगा, डेढ़ बजे तक हाउस चलेगा और फिर दो बजे तक के लिए एडजर्न हो जाएगा, तब इस पर बहस बेकार है।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य (आंध्र प्रदेश) : श्रीमन्, केवल समय को लेकर कि दिन के 2 बज कर 50 मिनट पर आग लगी या रात के 2 बज कर 50 मिनट पर आग लगी—केवल इसी को लेकर इस सदन का करीब-करीब आधा घंटा खराब हुआ। जब एडवाइजरी कमेटी ने यह तय किया था कि डेढ़ बजे तक समाप्त हो जाएगा तब 'समय' की बात उसके सामने नहीं थी, समय की बात सरकार की तरफ से खुद आई, सरकार ने कन्ट्रेडिक्शन किया। *(Interruptions)*

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि सुबह जब चेयरमैन साहब वहां थे तो मैंने उनसे कहा था कि डेढ़ बजे तक समाप्त नहीं होगा तो उन्होंने सरसरा यह रिमार्क दिया था 'देख लेते हैं'। इसलिए आप चाहें तो इस इशू को अब खोल सकते हैं। कालिंग अटेंशन मोशन को पूरा होने दीजिए, यह मेरा निवेदन है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): As I told you, the difficulty is that the Home Minister or his Assistant is not here. So even if some Members are allowed to put further supplementaries who will answer them?

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: Other Members of the Cabinet are present them?

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): May I submit that we have already decided that today's Calling Attention would be over by 1.30 and that at 2.00 we will take up the other Business. That was made clear to the House also. Sometimes some Members take some more time and you cannot just compel them to sit down. It has happened earlier also. There is clear directive from the Chair that after the Calling Attention we should take up other business. Therefore, let us take up other business. Let us at least stick to the decision which we have taken in the Chamber.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: The Leader of the House was not here. There was no directive. The Chairman was very much part of the proceeding of the Business Advisory Committee where it was decided to limit it to five minutes each. When the Chairman was in the Chair I pointed out that the way things were going it would not be possible to cover all Members. And, as Mr. Maurya said, he also said "will be seen". Now I am requesting that not five minutes but four minutes each may be given. There are 'only five people left 'We are dragging this unnecessarily. As for the two Ministers being away, they can be summoned in five minutes. I told Mr. Makwana that the debate should be continued and he said he would go by the Rules.

श्री रबी राय (उड़ीसा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो यह सवाल उठ कर खड़ा हुआ है मैं उसके संबंध में प्रोसीजर बताना चाहता हूं। सवाल यह है कि लोक सभा और राज्य सभा में यह अन्तर है कि जब ध्यानाकर्षण का सवाल आता है हमारे हाउस में तो उसमें मान लीजिये किसी दल का नाम नहीं दिया हुआ है और आर्डर-पेपर पर नाम नहीं है फिर भी दल के अनुसार अनुमति मिलती है, जब कि लोक सभा में वह नहीं है। मैं मौर्य साहब के साथ सहमत हूं कि जब एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था कि यह मामला डेढ़ बजे तक चलेगा तो मेम्बर को मुकाबले में प्रिसाईडिंग आफीसर की जिम्मेदारी ज्यादा है कि हाउस को इस तरह कन्ट्रोल करें ताकि हर एक पार्टी के आदमी को वक्त मिले। आपकी दिक्कत मैं समझता हूं कि होम मिनिस्टर नहीं हैं और गृह विभाग के राज्य मंत्री भी नहीं हैं, लेकिन जो कम्युनिस्ट

पार्टी और दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता हैं उनको भी तो अपने अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा कहना है कि आपको सुविधा हो तो पांच-पांच मिनट सबको दे दें। अगर सुविधा नहीं है, अभी वे लोग नहीं आ सकते तो आगे के लिए ध्यान रखा जाये कि जिनके ह्विप या लीडर द्वारा नाम दिये गये हैं उन को उस सवाल पर बोलने के लिए जरूर बुलाया जाय। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसी सत्र में कोई 7, 8 दिन पहले हमारी पार्टी के आदमी को मौका नहीं मिला था। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। पहले हर पार्टी के प्रवक्ता को मौका मिलता था। तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आगे चल कर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसमें हर दल के प्रवक्ता को काल अटेंशन पर बोलने का मौका मिल सके।

श्री जगजीत सिंह आनन्द : आपके प्रवक्ता तो बोल चुके हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): I will have these feelings conveyed to the hon. Chairman, please. Now, messages from Lok Sabha.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: It is not the first time this is being done.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

(I) The Uttar Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 1980.

(II) The Uttar Pradesh Appropriation Bill, 1980

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:—

(I)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I am directed to enclose herewith the Uttar Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 1980, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 18th March, 1980.

2. The Speaker has certified that this Billis a Money Bill."

(II)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Uttar Pradesh Appropriation Bill, 1980, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 18th March, 1980.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill."

Sir, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

REFERENCE TO THE REPORTED DETECTIONS OF A SURGEON'S FORCEPTS FROM THE MORTAL REMAINS OF ONE SHRI RAM BABU PADAV OF PATNA

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, ऊंचे डाक्टरों के द्वारा गम्भीर लापरवाही की घटनाएं देश में बढ़ती जा रही हैं और अब ऐसा अवसर आ गया है कि सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा कि वह मेडिकल कौंसिल एक्ट को अमेंड करे। अभी कल के अखबारों में श्रीमन्, आया, देश के सभी अखबारों में कि पटना के सब से बड़े सर्जन ने एक गरीब बाबूराम यादव से 1000 रुपये फीस लेकर उसके पेट का आपरेशन किया। आपरेशन करने के बाद उसके पेट में ही 7 इंच लम्बी कैंची छोड़ दी। दो साल पहले 1977 में आपरेशन किया था उस समय ही वह कैंची पेट में छोड़ दी और पेट को बन्द कर दिया। तब से वह गरीब पेशेंट लगातार उनसे पेट के दर्द की शिकायत करता रहा। उन्होंने उसे तमाम डिफरेंट ड्रग्स दी, तमाम दवाइयां प्रस्क्राइब कीं, उसके खून की जांच करते रहे, पेशाब की जांच करते रहे, ब्लड प्रेशर टेस्ट करते रहे, उसका टेम्परेचर देखते रहे। सारी जांच करते रहे। दो साल पहले पेट में कैंची बन्द करते उसकी सारी जांच करते रहे। अन्त में जब वह मरने के करीब आ गया और मेडिकल कालेज में